



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-जे.एच.-अ.-16072026-274533
CG-JH-E-16072026-274533

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 563]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 13, 2026/आषाढ 22, 1948

No. 563]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 13, 2026/ASHADHA 22, 1948

श्रम और रोज़गार मंत्रालय
(खान सुरक्षा महानिदेशालय)
अधिसूचना
धनबाद, 10 जुलाई, 2026

सा.का.नि. 621(अ).— उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं (केंद्रीय) नियम, 2026 के नियम 165 के उप-नियम (1) के तहत मुझे मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, मैं, उज्ज्वल ताह, खानों के मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधा प्रदाता (जिन्हें खान सुरक्षा महानिदेशक के रूप में भी नामित किया गया है), इसके द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र के पूर्णकालिक प्रशिक्षण अधिकारी की योग्यता और अनुभव को इस प्रकार निर्दिष्ट करता हूँ:

दायरा: यह मानक उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं (केंद्रीय) नियम, 2026 के नियम 165 के उप-नियम (1) के तहत व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र के प्रभारी के रूप में नियुक्त पूर्णकालिक प्रशिक्षण अधिकारी के लिए आवश्यक योग्यता और अनुभव का विनिर्देशन करता हूँ।

लागू होना: यह मानक उन सभी व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों पर लागू होता है जो कोयला, धातु-युक्त (मेटैलिफेरस) और तेल खदानों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं (केंद्रीय) नियम, 2026 के नियम 163 के तहत स्थापित किए गए हैं।

अनुपालन आवश्यकता:

a. कोयला खदानों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र के मामले में:

प्रशिक्षण अधिकारी के पास खदानों में कम से कम 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए और कोयला खदानों के लिए योग्यता का प्रथम श्रेणी प्रमाण पत्र (First Class Certificate of Competency) होना चाहिए।

वशर्ते कि, यदि व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र किसी एक या अधिक भूमिगत (below ground) कोयला खदानों की आवश्यकताओं को पूरा करता है, तो प्रशिक्षण अधिकारी के पास कोयला खदानों के भूमिगत कार्यों में कम से कम 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए और कोयला खदानों के लिए योग्यता का प्रथम श्रेणी प्रमाण पत्र [अन-रिस्ट्रिक्टेड/बिना प्रतिबंध के] होना चाहिए।

b. धातु-युक्त (मेटैलिफेरस) खदानों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र के मामले में:

प्रशिक्षण अधिकारी के पास खदानों में कम से कम 5 वर्षों का अनुभव होना चाहिए और धातु-युक्त खदानों के लिए प्रबंधक या फोरमैन का योग्यता प्रमाण पत्र या माइनिंग इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। शर्त यह है कि, अगर वोक्ेशनल ट्रेनिंग सेंटर दो या उससे ज्यादा मशीनीकृत ओपनकास्ट मेटैलिफेरस खदानों की ज़रूरतें पूरी करता है, तो ट्रेनिंग ऑफिसर के पास मेटैलिफेरस खदानों में कम से कम 7 साल का अनुभव होना चाहिए और उनके पास मेटैलिफेरस खदानों के लिए 'फ़र्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट ऑफ़ कॉम्पिटेंसी' होना चाहिए।

इसके अलावा, शर्त यह है कि अगर वोक्ेशनल ट्रेनिंग सेंटर ज़मीन के नीचे (अंडरग्राउंड) मौजूद एक या उससे ज्यादा मेटैलिफेरस खदानों की ज़रूरतें पूरी करता है, तो ट्रेनिंग ऑफिसर के पास मेटैलिफेरस खदानों में ज़मीन के नीचे काम करने का कम से कम 5 वर्षों का अनुभव होना चाहिए और उनके पास मेटैलिफेरस खदानों के लिए 'मैनेजर सर्टिफिकेट ऑफ़ कॉम्पिटेंसी [अन-रिस्ट्रिक्टेड]' होना चाहिए।

अगर कोई वोक्ेशनल ट्रेनिंग सेंटर (व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र) तेल खदानों की ज़रूरतों को पूरा करता है:

ट्रेनिंग ऑफिसर के पास इंजीनियरिंग की डिग्री और ऑयलफील्ड में कम से कम दस साल का काम का अनुभव होना चाहिए।

लेकिन, अगर ट्रेनिंग सेंटर एक से ज्यादा खदानों की ज़रूरतें पूरी करता है या ट्रेनिंग लेने वाले कर्मचारियों की संख्या 1000 से ज्यादा है, तो ट्रेनिंग ऑफिसर के पास इंजीनियरिंग की डिग्री और ऑयलफील्ड में कम से कम पंद्रह साल का काम का अनुभव होना चाहिए।

[फा. सं. डीजीएमएस/03-5/2026/सीएमसी (मुख्यालय)]

उज्ज्वल ताह, मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधा प्रदाता

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(Directorate General Of Mines Safety)

NOTIFICATION

Dhanbad, the 10th July, 2026

G.S.R. 621(E).— In exercise of the powers conferred on me under sub-rule (1) of rule 165 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions (Central) Rules, 2026, I, Ujjwal Tah, Chief Inspector-cum-Facilitator of Mines, also designated as the Director General of Mines Safety, hereby, specify the qualification and experience of the whole time Training officer of Vocational Training Centre as follows:

Scope: This standard specifies about the qualification and experience required for a whole-time training officer appointed as in-charge of a Vocational Training centre under sub-rule (1) of rule 165 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions (Central) Rules, 2026.

Applicability: This standard is applicable to all Vocational Training Centres established under Rule 163 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions (Central) Rules, 2026 for catering the training needs of Coal, Metalliferous and Oil Mines.

Compliance Requirement:

a. In case of Vocational Training Centre catering for needs of Coal Mines:

The training officer shall have at least 10 years of experience in mines and possessing First Class Certificate of competency for coal mines.

Provided that, if the Vocational Training Centre caters the needs of any one or more below ground coal mines, the training officer shall have at least 10 years of experience in below ground workings of the coal mines and possessing First Class Certificate of Competency [Un-Restricted] for coal mines.

b. In case of Vocational Training Centre catering for needs of Metalliferous Mines:

The training officer shall have at least 5 years of experience in mines and possessing manager's or foreman Certificate of competency for metalliferous mines or Degree or Diploma in Mining Engineering.

Provided that, if the vocational training centre caters the needs of two or more mechanised opencast metalliferous mines, the training officer shall have at least 7 years of experience in the Metalliferous Mines and possessing First Class Manager's Certificate of Competency for metalliferous mines.

Provided further that, if the Vocational Training Centre caters the needs of any one or more below ground metalliferous mines, the training officer shall have at least 5 years of experience in below ground workings of the Metalliferous Mines and possessing Manager's Certificate of Competency [Un-Restricted] for metalliferous mines.

c. In case of Vocational Training Centre catering for needs of Oil Mines:

Training Officer shall possess a Degree in Engineering with at least ten years of work experience in oilfields.

Provided that in case the training centre caters the need of more than one mine or the trainable employees more than 1000 persons, the training officer shall possess atleast a Degree in Engineering with at least fifteen years of work experience in oilfields.

[F. No. DGMS/03-5/2026/CMC(HQ)]

UJJWAL TAH, Chief Inspector-cum-Facilitator of Mines